प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामविलास पुत्र श्री प्रीतम, निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-20507/प्रो0अनु0(2)-255/2023 (बैठक दिनांक 08.08.2023), दिनांक 09.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रामविलास पुत्र श्री प्रीतम, जो ग्राम-मेहरबान खेडा, मजरा-मेथी टीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। घटना से लगभग 19 वर्ष पूर्व वादी गुड्डू के चाचा किशन की हत्या गज्जू, राजकुमार, रामकिशन व हरी ने कर दी थी। किशन के लड़के अनिल व सिद्धनाथ ने वर्ष 1999 में गज्जू की हत्या कर दी थी। इसी पारिवारिक रंजिश को लेकर रामविलास व अन्य सहअभियुक्तों ने गुड्डू के घर पर हमला कर उसके पिता सरजू, भाई चन्द्रिका, भाभी सताना तथा भाई मंगल व चचेरा भाई रामखेलावन की बन्दूक, लाठी व कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-228/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149, 452, 404, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, स्पेशल जज ई0सी0 एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 18.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, में विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 10.07.2023 तक अपरिहार 22 वर्ष, 04 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 28 वर्ष, 06 माह, 28 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 10.07.2024 तक 58 वर्ष, 08 माह, 02 दिन है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा अपनी आख्या में अंकन किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बंदी द्वारा कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुन: अपराध कारित किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बंदी शारीरिक रूप से अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होता है। बंदी के कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बंदी के परिवार की आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं है, का उल्लेख करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि घटना से लगभग 19 वर्ष पूर्व वादी गुड्डू के चाचा किशन की हत्या गज्जू, राजकुमार, रामकिशन व हरी ने कर दी थी। किशन के लड़के अनिल व सिद्धनाथ ने वर्ष 1999 में गज्जू की हत्या कर दी थी। इसी पारिवारिक रंजिश को लेकर रामविलास व अन्य सहअभियुक्तों ने गुड्डू के घर पर हमला कर उसके पिता सूरज, भाई चन्द्रिका, भाभी सताना तथा भाई मंगल व चचेरा भाई रामखेलावन की बन्दूक, लाठी व कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसी पारिवारिक रंजिश को लेकर रामविलास व अन्य सहअभियुक्तों ने गुड्डू के घर पर हमला कर उसके पिता सरजू, भाई चन्द्रिका, भाभी सताना तथा भाई मंगल व चचेरा भाई रामखेलावन की बन्दूक, लाठी व कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बंदी कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बंदी कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुन: अपराध कारित किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बंदी शारीरिक रूप से अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बंदी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

के परिवार की आर्थिक दशा संतोषजनक होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी की धारा-432 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी रामविलास पुत्र प्रीतम को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामविलास (बन्दी संख्या-15091) पुत्र श्री प्रीतम, निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-720/2025/1089(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in